

REGD-4703/15-7-161311/1995

प्रेषक

श्री ज्योति क. गौड़,
संयुक्त शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन ।

Not

सेवा में

संयुक्त
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
श्रीवा केन्द्र 2 संयुक्त केन्द्र
प्रति बिहार नई दिल्ली ।

N.C

शिक्षा 171 अनुभाग

दिनांक: 2 फरवरी, 1996

विषय:- महार्थ विद्या मन्दिर सातापुर को श्रीवा केन्द्र नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुमति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कही जा निदेश हुआ है कि महार्थ विद्या मन्दिर सातापुर को श्रीवा केन्द्र नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति नहीं है :-

- 11। विद्यालय की भूजात तालाबों का सम्मत्त पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13। विद्यालय में कम से कम दस प्राचार्य स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में तयान्त कक्षाओं के लिए निर्धारित गुण से अधिक गुण नहीं लिया जायेगा ।
- 14। सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैकिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोटिल फार दि डिप्टन स्कूल सर्विफेड इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस प्राचार्य परिषदों से सम्बन्धित होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- शिक्षा शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमति देलमानों तथा अन्य भत्तों से कम देलमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

Principal
Maharshi Vidya Mandir
Sitapur

....2

17। राज्य सरकार द्वारा सम्म सम्म पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय की विभिन्न विधायित्व प्रवृत्तियों में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जायेगा -

1क। विद्यालय द्वारा निजी भवनता निर्माण तीन वर्ष में करके विद्यालय नये भवन में स्थानान्तरित कर लिया जायेगा।

1ख। विद्यालय के सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों तथा उन्हें निर्धारित वेतन व मंहगाई भरता राज्य सरकार के अनुसूच भुगतान किया जायेगा रखा है।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार का वृद्ध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

राजकीय शिक्षा अधिकारी,
संगुवत सायब।

पुणे 470311/15-7-1996 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- भारतीय संगुवत शिक्षा निदेशक भेठ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर।
- 4- निरीक्षक, आन्ध्र भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर सीतापुर।

आज्ञा में

राजकीय शिक्षा अधिकारी,
संगुवत सायब।

Principal
Maharishi Vidya Mandir
Sitapur